न्यूज लेटर

सेतु

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef for every child

SPUP Knowledge is Power

Centre for Child protection

जून 2018 अंक: 11

बाल संरक्षण केंद्र (सीसीपी), सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

विशेषांक : बाल श्रम

निदेशक की कलम से

जनगणना 2011 के अनुसार, भारत मे 5–14 वर्ष आयु समूह के 25.96 करोड़ बच्चे हैं। जिनमे से 1.01 करोड़ बच्चे (कुल बच्चों का 3. 9%) किसी न किसी प्रकार का काम करते हैं। इसके अलावा, 4.27 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। भारत में काम करने वाले कुल बच्चों में से लगभग 55% केवल पांच राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, व महाराष्ट्र में हैं। राजस्थान में यह हिस्सा 8.4% है जो राज्य को पूरे देश में इसके लिए तीसरे स्थान पर रखता है।

आमतौर पर व्यस्कों की बजाय बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उन्हें कैसे भी ढाला जा सकता है, वे आसानी से अपनी आवाज नहीं उठा सकते, आसानी से दूसरो तक नही पहुंच सकते।

आसानी से कहीं भी भेजे जा सकते हैं, व्यस्कों की तुलना में वे कम मजदूरी पर काम कर सकते हैं। किसी काम को सही तरीके से नहीं करने पर अक्सर उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है। उन्हें बार बार खामोश व प्रताड़ित किया जाता है और सुरक्षा को नजरंदाज करते हुए उनसे काम करवाए जाते हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्थान में बाल मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या जोधपुर मे है और उसके बाद जयपुर का स्थान है। जयपुर में ही 5–14 वर्ष आयु वर्ग के 50000 से अधिक बाल मजदूर हैं। इसलिए राजस्थान में इस दिशा में संबंधित लोगों के द्वारा बहुत कुछ किए जाने की जरुरत है।

14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा यदि कोई कार्य करता है तो वह बाल श्रम कहलाता है, चाहे कार्य किसी भी क्षेत्र का हो। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूलों में नामांकित किया जाना चाहिए। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत उनकी शिक्षा बिलकुल मुफ्त है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे कुछ तरहं के कार्य कर सकते हैं, लेकिन सभी तरहं के नहीं। बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 की परिभाषा के अनुसार वे कारखानों या खतरनाक वातावरण में कार्य नहीं कर सकते।

बाल श्रम व बाल तस्करी की समस्या मुख्य रूप से हमारे समाज के वंचित वर्गों को प्रभावित करती है। चूँकि वे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं, और आसानी से समाज के प्रतिकूल तत्वों के शिकार बन जाते हैं, जो उन्हें प्रताड़ित करते या करवाते हैं। कुछ लोग इसके लिए गरीबी को दोष देते हैं तो कुछ बेरोजगारी को और कुछ अन्य निरक्षरता को इसका कारण मानते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस अमानवीय कृत्य का कोई एक कारण नहीं है बल्कि ये सभी कारण आपस में जुड़े हुए हैं। और हम में से अधिकतर लोग अनभिज्ञ/उदासीन बने रहना पसंद करते हैं जिसके कारण स्थिति और खराब हो जाती है। हालांकि, हम में से कुछ लोग कदम उठाते भी हैं लेकिन एकजुट होकर काम किए जाने की अभी भी बहुत जरुरत है और शायद यही कारण है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम बाल श्रम पर लगाम कसने में विफल हैं।

इन नन्हें इंसानों की सहायता करने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास किए जाने की जरूरत है। चाहे हम बाल कल्याण पुलिस अधिकारी हों या ए.एच.टी.यू. अधिकारीं या बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यरत नागरिक हों, एकजुट होकर काम करने से हमारी उपलब्धियाँ जयादां व संतोषजनक होंगी।

इस न्यूज़लेटर मे हम संविधान के प्रावधानों व बाल श्रम की रोकथाम के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में जानकारी साझा करने जा रहे हैं। इस संसकरण मे हमने सरकार द्वारा बनाए गए विशेष कार्यक्रमों व नीतियों को, और विश्वभर में कार्यरत विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं के बारे मे चर्चा की है साथ ही फील्ड में बाल संरक्षण विषय पर कार्यरत सभी कार्यकर्त्ताओं की तुरंत जानकारी लिए राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए विशेष कदमों को भी शामिल किया है।

– **राजीव शर्मा,** आई.पी.एस.
निदेशक
सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
सरदार पटेल युनिवर्सिटी ऑफ पुलिस

नियम/कानून व बाल श्रमः

संवैधानिक प्रावधानः

- **अनुच्छेद 21 अः** शिक्षा का अधिकार – राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को विधिवत तरीके से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए।
- **अनुच्छेद 23ः** मानव तस्करी व बलपूर्वक/जबरन मजदूरी का निषेधः
  - मानव व्यापार, भिक्षावृति व अन्य प्रकार की जबरन मजदूरी निषेध है और इसका उलंघन किया जाना कानून के तहत एक दण्डनीय अपराध है।
  - इस अनुच्छेद के तहत ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो राज्य द्वारा आमजनों के लिए किसी अनिवार्य सेवा को लागू करने में रुकावट पैदा करे, एवं ऐसी किसी भी सेवा के लागू किए जाने में राज्य द्वारा धर्म, वर्ण, जाति या वर्ग संबंधित कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- **अनुच्छेद 24ः** कारखानों इत्यादि में बच्चों के रोजगार का निषेध : चौदहं वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में या खदान में या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाना चाहिए।
- **अनुच्छेद 39ः** राज्य अपनी योजनाओं को इस तरह से निर्देशित करेगा जिससे मजदूरों का स्वास्थ्य एवं क्षमता, महिला एवं पुरुष, और बच्चों का नाजुक बचपन का शोषण न हो सके, और नागरिक अपनी आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर कोई ऐसा व्यवसाय न चुने जो उनकी उम्र एवं क्षमता के अनुकूल न हो।

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016[10] के अनुसार बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः

अ) बालक/बच्चा – एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। 14 वर्ष तक कि आयु के किसी भी बच्चे को कही भी रोजगार पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

ब) किशोर/नवयुवक – एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष पूरे नहीं किए हों। किशोरों को किन्हीं भी खतरनाक/जोखिम वाले व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए या उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

बाल व किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 16 के अनुसारः

(1) इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति, पुलिस ऑफिसर या इंस्पेक्टर किसी अपराध के होने की शिकायत सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी भी अदालत में कर सकते हैं।

(2) इस अधिनियम के तहत बच्चे की आयु का पता लगाने के लिए किसी निर्धारित मेडीकल अथॉरिटी द्वारा मान्य किया गया आयु से संबंधित कोई भी सर्टीफिकेट मान्य होगा जिसे बच्चे की आयु जानने के लिए एक निर्णायात्मक सबूत माना जा सकता है।

(3) एक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे की किसी भी कोर्ट को इस अधिनियम के तहत आने वाले किसी भी अपराध को नहीं लेना होगा।

बाल व किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 17 के अनुसारः

इस अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना की सुरक्षा के उद्देश्य से उपयुक्त सरकार द्वारा इंस्पेक्टर्स नियुक्त किए जा सकते हैं और इस प्रकार से नियुक्त किए गए किसी भी इंस्पेक्टर को भारतीय दण्ड संहिता (धारा 21) के अनुसार लोक सेवक माना जाएगा।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860[11]

- भीख मांगने के लिए अपहरण करना या अपंग करना (धारा 363अ)
- किसी व्यक्ति को गंभीर कष्ट पहुंचाने, गुलामी करवाने, इत्यादि के लिए उसका अपहरण करना या अगवा करना (धारा 367)
- किसी व्यक्ति का व्यापार – मानव तस्करी (धारा 370)
- गुलामों/दासों संबंधित आदतन दलाली (धारा 371)
- अवैध जबरन श्रम (धारा 374)

10. बाल व किशोर श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986

11. http://megpolice.gov.in/acts/central/protocol_trafficked_migrant_child_labour.pdf – **8 अगस्त 2018 को लिया गया**

लघु उद्योग

- रत्न एवं आभूषण, जरी का काम, कपड़े बनाना, चूड़ियाँ बनाना, बिंदियाँ बनाना, आदि
- उनके अपने घरों/आश्रालयों से काम करना

घरेलू काम

- किसी दूसरे के घर में काम करना या रहना, किसी अन्य स्थान पर भेजा जाना
- बागवानी, साफ–सफाई इत्यादि

खनन उद्योग

- पत्थर एवं कोयले की खानों में काम करना, डायनेमाईट का उपयोग करते हुए ड्रिलिंग, खतरनाक परिस्थितियों में काम

कृषि /खेतीबाड़ी

- दक्षिणी राजस्थान के बच्चों का बी.टी. कॉटन की खेती/ कारखानों में काम करना

बाल श्रम के प्रकार

1. लघु उद्योग – पश्चिमी राजस्थान में बच्चों को नमक उद्योग में और अलवर व भरतपुर में पटाखों के उद्योग में काम पर लगाया जाता है। बच्चों को अपने घरों पर काम करने के लिए उनके घर पर कपड़े भेजे जाते हैं और वे जरदोरी या आरातारी व अन्य सुईयों वाले काम करते हैं। वे बंद स्थानों पर लंबे समय तक काम करते हैं और उन्हें हर दिन एक निश्चित संख्या में पीस तैयार करने होते हैं।[12]

2. घरेलू काम – जब बच्चों को कमाने के लिए व अपने परिवार को सहयोग करने के लिए घरेलू कामों पर लगाया जाए। जानकार या अनजान लोगों के साथ उनका सौदा किया जाता है जिनके लिए उन्हें काम करना होता है व उनके घरों में ही रहना होता है। उन्हें सुबह 5 या 6 बजे उठकर घर के सारे काम करने होते हैं जैसे, खाना बनाना, बर्तन–कपड़े धोना, बागवानी, इत्यादि। और रात को पूरे परिवार के सोने तक काम करना होता है।

3. खनन – बच्चे पत्थरों की खानों में ड्रिल करते है, बड़े होल बनाने के लिए डायनेमाईट इस्तेमाल करते है, कबाड़ की ढुलाई करते हैं, जमीन के नीचे व ईंट भट्टों में काम करते हैं। राजस्थान में कोटा व बूंदी जिलों में सर्वे किए गए कुल बच्चों में से 38 प्रतिशत बच्चे रेतीले पत्थरों की खानों में काम करते हुए पाए गए।[13]

4. कृषि/खेतीबाड़ी– बहुत से बच्चे खेतीबाड़ी में अपने परिवारों की सहायता करते हैं। उत्तरी गुजरात में बी.टी. कॉटन के खेतों में काम करने के लिए दक्षिणी राजस्थान से बच्चों की तस्करी की जाती है। हानिकारक रसायनों का काम करते हुए उन्हें जानलेवा बिमारियों का सामना भी करना पड़ता है।

बाल श्रम के विरुद्ध पुलिस ऑफिसर्स की जिम्मेदारियाँ:[14]

मुक्त कराने/रेस्क्यू से पहले की जिम्मेदारियाँ

- संभावित जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में समय–समय पर सर्वे होना सुनिश्चित करना
- अप्रत्यक्ष (वर्चुअल) आंकडे एकत्र करना
- खतरे की आशंका के रूप में हवाला (मनीलांडरिंग) की घटनाओं का निपटारा करना और पता लगाना कि कहीं उसमें तस्करी भी शामिल तो नहीं है।
- रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए समुदाय, बच्चों व स्कूलों एवं विशेषकर अध्यापकों के साथ नेटवर्क को बढ़ाना।
- गुमशुदा लोगों/बच्चों की रिपोर्ट इकट्ठा करना
- तस्करी के संकेतकों की जांच के लिए क्षेत्र में हुए अपराधों के आंकड़े इकट्ठा करना व विश्लेषण करना।
- पूर्व में मुक्त करवाए/बचाए गए बच्चों/लोगों का स्रोत के रूप में उपयोग करना; इसके लिए सूचित सहमति ली जानी चाहिए। एनजीओ, अपराध निरोधकों, हेल्प लाईन्स, पुलिस कंट्रोल रूम इत्यादि की सहायता ली जा सकती हैं।
- गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ भागीदारी रखना क्योंकि वे जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। मीडिया की

12. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/18916983.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst जैसा कि 13 मार्च 2013 को प्रकाशित हुआ व 10 अगस्त 2018 को लिया गया।
13. https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/16/indian-child-labour-behind-patio-stones-sandstone-rajasthan जैसा कि 16 अक्टूबर 2015 को प्रकाशित हुआ व 10 अगस्त 2018 को लिया गया
14. This section is based on Ministry of Labour and Employment, GOI prepared protocol on prevention, rescue, repatriation and rehabilitation of trafficked and migrant child labour

रिपोर्ट्स भी सूचना की बहुमूल्य स्रोत हो सकती हैं।

- हर कीमत पर स्रोत व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए।
- जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्रोत की पहचान करना, क्लाईंट्स व शिकायतकर्ताओं के आंकड़ों का विश्लेषण करना और प्रमुख भूमिका निभाने वालों के बारे में जानकारी रखना।
- सूचनाओं, क्षेत्र की पृष्ठभूमि, व लोगों का उचित विश्लेषण करना और संभावित बाधाओं का पता लगाना।

मुक्त कराना/रेस्क्यू कार्य

- उन्हें सामान्य पोशाक में होना चाहिए[15]
- पुलिस ऑफीसर द्वारा बच्चे की आम जरूरतों व खाने–पीने संबंधित आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, जब वह बच्चा उस ऑफिसर के चार्ज में हो। समेकित बाल संरक्षण योजनाओं से फंड लिए जाने चाहिएं।
- उन्हें इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, बाल कल्याण समिति के सदस्यों, सरकारी अस्पतालों व शिशुरोग इकाईयों तथा 1098 चाईल्डलाईन का सामान्य विवरण व सम्पर्क जानकारी रखनी चाहिए (ताकि बच्चों को आवश्यक भावनात्मक व कानूनी सहयोग प्रदान करवाया जा सके)।
- पुलिस ऑफिसर द्वारा बच्चे को 24 घंटों के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है।

15. जैसा कि 10.09.2018 को यहां से लिया गया: https://www.mphc.gov.in/PDF/JuvenileJustice/j4-060314.pdf

- यदि बाल कल्याण समिति नहीं बैठती है तो बच्चे को समिति के किसी एक सदस्य के घर ले जाया जा सकता है और यदि कोई भी सदस्य उपलब्ध न हो तो किसी ऐसे उचित बाल संस्थान में ले जाना चाहिए जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत पंजिकृत व प्रमाणित हो। वही संस्थान फिर बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष 24 घंटों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

पीड़ित समर्थित दृष्टिकोण अपनाना

- यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित बच्चे को सहानुभूति के साथ उपचारित किया जाए और आगे बढ़कर ऐसे कदम उठाने चाहिए कि तहकीकात या कानूनी कार्यवाही के दौरान उसपर कोई दूसरा अपराध/अत्याचार न हो।
- तस्करी किए गए पीड़ित को सामाजिक लांछन से दूर रखने के लिए गोपनियता व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करना
- यह सुनिश्चित करना कि बचाव, प्रवासन, व मुकदमें के पूरे समय के दौरान पीड़ितों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए जैसे कि तीव्र व समयबद्ध न्याय, सुनवाई के दौरान व बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईसीपीएस के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था करना, जिसमें यात्रा व आवास के खर्चे भी शामिल हैं।
- मुक्त करवाए गए पीड़ित बच्चे की तत्कालिक व दीर्घावधि मेडीकल जरूरतों को पूरा करना, जिनमें मनोवैज्ञानिक सहयोग भी शामिल है।
- पीड़ित बच्चे एवं–गवाहों/साक्ष्यों की सुरक्षा
- पीड़ित को कानूनी कार्यवाहियों में उसकी भूमिका को समझाने में सहायता करने के लिए कानूनी सलाह व सहायता दिलवाना और तस्करी के गिरोह से जुड़े हुए सभी आरोपियों का पता लगाना सुनिश्चित करना।

बच्चे को मुक्त कराने के बाद की जिम्मेदारियाँ

संगठित अपराध की तहकीकातः

- न केवल शोषण करने वाले अंतिम आरोपी से बल्कि अपराधी संगठन के गिरोह व स्रोत के बीच हुए सभी बैंकिंग लेनदेनों व पैसों के अन्य लेनदेनों या हवाला की जानकारी एकत्र कर उनका अनुसरण करना
- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक अपराध व इससे जुड़े हुए सभी षडयंत्रकारियों/अपराध– सहयोगियों की तहकीकात की जाए और अपराधी गिरोह के सभी पक्षों के विरुद्ध उचित मुकदमा दायर किया जाए। इनमें वो दलाल भी शामिल है जो पीड़ितों को शोषण करने वाले आरोपियों तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त करता है।
- यह सुनिश्चित करना कि बाल श्रम व बाल तस्करी गिरोह के सभी पीड़ितों की पहचान की जाए और उनके लिए मुकदमा चलाया जाए और गिरोह का खात्मा किया जाए।
- शीघ्रता से जानकारी शेयर करने के लिए व अपराधियों, पारगमन/बाहर भागने के रास्तों का पता लगाने के लिए और कई अपराधों में लिप्त दोषियों की पहचान करने के लिए देखभाल व सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों व दोषी लोगों/ऐजेंसियों का ऑनलाईन डेटाबेस तैयार करना चाहिए।

- समय समय पर डिकॉय ऑपरेशन करने चाहिए ।

बाल श्रम के विरुद्ध सरकार के कदम :

1. **चाईल्ड लेबर टास्क फोर्स**[16]– जिला प्राधिकारियों को एक टास्क फोर्स (कलेक्टर व श्रम विभाग) के माध्यम से ''सोशल ऑडिट'' की प्रक्रिया संचालन में लानी चाहिए ताकि यह पक्का किया जा सके कि बच्चों को व्यवसायों या प्रक्रियाओं में रोजगार पर नहीं लगाया जाए।

2. **चाईल्ड लेबर सेल**– राजस्थान में बाल श्रम के प्रति एक परिदृश्य/जागरुकता विकसित करना, जिसके लिए आवश्यकता पड़ने पर कानूनी रूपरेखा को सुधारा जा सकता है। नियमों का लागू किया जाना व बाल अधिकारों की अनुपालना को सुनिश्चित करना।

3. **चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल**– सभी गुमशुदा बच्चों की फोटो व विवरण अपलोड किए जाते हैं ताकि जितना जल्द हो सके बच्चे अपने परिजनों को मिल सकें, यह पूरे देश से जुड़ने में सहायक होता है।

4. **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना**[17]– इसके तहत फंडिंग प्रोजेक्ट सोसाईटीज़ की सहायता से चुनिंदा जिलों में विशेष स्कूल/पुनर्वास केंद्र खोलकर बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर ध्यान दिया जाता है। ये केंद्र रोजगारों या बाल मजदूरी से छुड़ाए गए बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण, छात्रवृति आदि प्रदान करते हैं।

- **विमुक्त/मुक्त कराये गए बाल श्रमिकों का पुनर्वासः**

- **बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय स्कीम, 2016**[18]– इस योजना के अन्तर्गत बंधुआ बाल मजदूर को 2 लाख रूपए और अत्यन्त वंचित या बुरी स्थिति वाले बंधुआ या जबरन बाल मजदूर को 3 लाख रूपए की सहायता दी जाती है, साथ ही 20,000 रूपए की सहायता तुरंत दी जाती है। इसमें प्रत्येक राज्य को सालाना 10 लाख रूपए की राशि जागरुकता फैलाने के लिए प्रदान की जाती है। इसके तहत मुक्त करवाए गए बंधुआ मजदूरों की क्षमता वर्धन व कौशल विकास हेतु राज्य द्वारा आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

- **मुक्ति आश्रम** की शुरुआत बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था द्वारा 1998 में विमुक्त बच्चों की तुरन्त सहायता के उद्देश्य से अस्थायी वातावरण प्रदान करने हेतु की गयी थी। यहां रहने के दौरान उन्हें चिकित्सा सेवा, खाना, कपड़े, मनोरंजन सुविधा, खेलकूद, थिएटर व परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है, जब तक कि सभी कानूनी और घर–वापसी की औपचरिकताएं पूरी न हो जाएं।[19]

- **श्रम मंत्रालय के आंकड़ों**[20] के अनुसार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) के तहत भारत में मुक्त करवाए गए एवं पुनर्वासित किए गए बच्चों की संख्या 46.3 प्रतिशत जा चुकी है।

बाल श्रम मुक्त जयपुरः सेंटर फार चाइल्ड प्रोटेक्शन, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आफ पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय, राजस्थान, जयपुर जिले को बाल श्रम से मुक्त कराने हेतु फ्रीडम फण्ड एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर एक परियोजना पर कार्यरत है। इस परियोजना के अंर्तगत बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों एवं ए.एच.टी.यू. अधिकारियों का क्षमतावर्धन, बच्चों के पुर्नवास एवं बाल श्रम विषय पर सरल संसाधन सामग्री निर्माण प्रमुख है।

हमे बच्चों को अवसर देने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने आप को व्यक्त कर सके और अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकें।

16. http://www.ncpcr.gov.in/view_file.php?fid=386 जैसा कि 8 अगस्त 2018 को लिया गया
17. https://www.unicef.org/evaldatabase/files/6._FINAL-CRE-Rajasthan-ANNEXURES.pdf जैसा कि 8 अगस्त 2018 को लिया गया
18. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177415 as retrieved on 8th Aug 2018
19. http://bba.org.in/VictimAssistance#rehab जैसा कि 13 अगस्त 2018 को लिया गया
20. http://www.newindianexpress.com/nation/2018/jul/31/child-labourers-rehabilitated-rescued-under-nclp-up-by-45-per-cent-1851006.html दी न्यू ईंडिया एक्सप्रेस में 31 जुलाई 2018 को प्रकाशित व 13 अगस्त 2018 को लिया गया।

बाल श्रम के खिलाफ विधिक प्रावधानों की सूची

अधिनियम	धारा	विवरण
भारतीय दण्ड संहिता	धारा370	किसी व्यक्ति का व्यापार (मानव तस्करी)
	धारा370A	तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण
	धारा 342	गलत तरीके से प्रतिबंधित करने का दण्ड
	धारा 363	अपहरण के लिए दण्ड
	धारा 367	वयक्ति को घोर क्षति, दासत्व आदि का विषय बनाने के लिए उसका अपहरण करना।
	धारा 374	अवैध अनिवार्य श्रम
कि"ाोर न्याय अधिनियम 2015	धारा 74 से 88 तक	बच्चे के प्रति क्रूर होना, उससे भीख मगंवाना, बच्चे को शराब या अन्य मादक पदार्थ देना, किसी सामान की आपूर्ती के लिए बच्चे का उपयोग करना, और काम करवाकर, बेचकर, अपहरण करके, शारीरिक रूप आदि से बच्चे का शोषण करना और वैकल्पिक तरीकों से सजा देना।
	धारा 33–34	यदि किसी व्यक्ति को बिना परिवार या अभिभावक के कोई बच्चा मिलता है तो इसकी रिपोर्ट 24 घंटों के भीतर–भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन/DCPU/CWC पर की जानी चाहिए, इसकी अवहेलना करने पर 6 माह के कारावास या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनो हो सकते हैं।
बाल मजदूरी स" ाोधन अधिनियम 2016	धारा 14	कोई भी व्यक्ति यदि किसी बच्चे को रोजगार पर लगाता है या इसके लिए उसे अनुमति देता है, उसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा या 10 हजार रूपए से लेकर 25 हजार रूपए तक जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।
	धारा16	इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे की एफ.आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए।
बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976	धारा16	बंधुआ मजदूरी को व्यवहार में लाने के लिए सजा
	धारा17	बंधक कर्ज को बढ़ावा देने के लिए सजा
	धारा18	बंधुआ मजदूरों को छांटने के लिए सजा
	धारा19	बंधुआ मजदूरों की संपत्ति को खत्म करना या उसका आधिपत्य उन्हें दोबारा न देना
नोटः पाठक अपनी समझ विकसित करने के लिए संबंधित कानूनों का विस्तृत अध्ययन कर सकतें हैं। यहां बताए गए प्रावधानों का उद्दे"य आपको त्वरित जानकारी देना मात्र है।		

Legal Provisions Against Child Labour		
Laws	**Sections**	**Particulars**
Indian Penal Code	Sec 370	Trafficking in person
	Sec 370A	Exploitation of trafficked person
	Sec 342	Punishment of wrongful confinement
	Sec 363	Punishment for kidnapping
	Sec 367	Kidnapping in order to subject person to grievous hurt, slavery, etc
	Sec 374	Unlawful compulsory labour
Juvenile Justice (Care & Protection of Children Act, 2015	Sec 74 to 88	Being cruel towards child, making him/her beg, giving liquor or other substances to child, using child for supplying anything and exploiting child employee, corporal, selling, kidnapping, and alternative punishments
	Sec 33-34	Any child found without family/guardian by any one shall be reported to nearby police station/DCPU/CWC within 24 hours, if not than person shall be punishable up to 6 months or fine of 10 thousand or both.
Child Labour (Prohibition &Regulation) Amendment Act, 2016	Sec 14	Whoever employees or permits the child to work shall be punishable with atleast 6 months or up to 2 years or fine of 10 thousand or up to 25 thousand or with both.
	Sec 16	FIR of the child under 14 shall be registered under this
The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976	Sec 16	Punishment for enforcement of bonded labour.
	Sec 17	Punishment of advancement of bonded debt
	Sec 18	Punishment for extracting bonded labour under the bonded labour system
	Sec 19	Punishment for omission or failure to restore possession of property to bonded labourers.
Note: *Please refer to specific laws for detailed understanding. Provisions mentioned above are for your instant information only.*		

Newsletter

SETU

Dedicated to child protection by Centre for Child Protection (CCP)

June 2018 EDITION : 11

Centre for Child Protection (CCP) Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Rajasthan

Theme: Child Labour

From Director's Desk:

As per Census 2011, the total child population in India in the age group (5-14) years was 259.6 million. Out of these, 10.1 million (3.9% of total child population) were working. In addition, more than 42.7 million children in India were not going to school. Five states, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, account for nearly 55% of total working children in India. The share of Rajasthan is 8.4% and is ranked number 3 in All-India.

Children as workers are usually preferred over adults, as they can be moulded, exploited, cannot raise voice easily, cannot reach out to others easily, can be transported easily and less wages would work for them than a grown up adult. Often, they are abused due to their inability to perform expected task in a certain way. They are the hushed up and exploited repeatedly and put to work disregarding safety issues.

Statistics reveals that, of the total child labour is present in Rajasthan. Jodhpur is the leading city followed by Jaipur which alone has more than 50,000 child labours in the age group of 5-14. Thus, there is a lot to be covered in Rajasthan by all concerned.

Child labour is any child who is working under the age of 14, irrespective of his/her field of work. Children till the age of 14 shall be enrolled in schools, and their education is free of cost under Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Children above 14 years are allowed to work in some settings, though not all. The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 prescribes that; they shall not work in factories or under hazardous work environment.

The problem of child labour and child trafficking affects severely the under-privileged sections of our society. Since they are the most vulnerable lot, they easily fall prey to such hostile elements in society which make them undergo abuse. Some blame poverty for it, some see the unemployment as the culprit and some others blame illiteracy. But, I think there is no single reason for this inhumane act and these all are interconnected. And, to make matters worse, more often than not, most of us prefer to remain indifferent. Some of us do act, but a collective action is still missing and may be that is the reason that even after putting so much effort, we are still far from putting an end to child labour.

In this newsletter we are sharing details about constitutional provisions, laws made against practice of child labour. We have also captured special programmes and policies made by the government, and role of various stakeholders working around the globe and special steps taken by Rajasthan government to facilitate quicker understanding of the critical issues for the benefit of all working in the field on this subject.

Rajeev Sharma, IPS
Director
Centre for Child Protection

LAWS AND CHILD LABOUR:

- **Constitutional provisions:**
- **Article 21A:** Right to education – the state shall provide free and compulsory education to all children of the age fourteen years in such manner as the state may, by law, determine.
- **Article 23:** Prohibition of traffic in human beings and forced labour:
  - Traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.
  - Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for a public purpose, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them
- **Article 24:** Prohibition of employment of Children in factories, etc.- no child below the age of fourteen years shall be employed to working any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.
- **Article 39:** The State shall, in particular, direct its policy towards securing that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength.

According to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016,Children are divided into two categories:

a) **Child** – Child means a person who has not completed his fourteenth year of age or such age as may be specified in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, whichever is more.

No child shall be employed or permitted to work in any occupation or process.

b) **Adolescent**– Adolescent means a person who has completed his fourteenth year of age but has not completed his eighteenth year.

- No adolescent shall be employed or permitted to work in any hazardous occupations and processes.
- Whoever employs any child or adolescent or permits any child or adolescent to work shall be punishable with imprisonment for a term 6 months to 2 years, or with fine of Rs.20000/- thousand rupees to Rs.50000/-, or with both.

As per Section 16 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986:

(1) Any person, Police officer or Inspector may file a complaint of the commission of an offence under this Act in any court of competent jurisdiction.

(2) Every certificate as to the age of a child which has been granted by a prescribed medical authority shall, for the purposes of this Act, be conclusive evidence as to the age of the child to whom it relates.

(3) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

As per Section 17 of The Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986:

- The appropriate Government may appoint Inspectors for the purposes of securing compliance with the provisions of this Act and any Inspector so appointed shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code.

Provisions under Indian Penal Code, 1860:

- Kidnapping or maiming a minor for purpose of begging (Section 363A)
- Kidnapping or abduction in order to subject person to grievous hurt, slavery,etc (Section 367)
- Trafficking of person (Section 370)
- Habitual dealing in slaves (Section 371)
- Unlawful compulsory labor (Section 374).

Small Scale Industries
- Gems & Jewellery, Zari work, cloth making bangle making, Bidi making, etc
- Working from their own homes/shelter

Domestic Work
- Working or living in someone's home, exported in other areas
- Gardening, cleaning, etc

Mining
- Working in stone/coal mines, drilling, using dynamites, in hazardous work conditions

Agriculture
- Children from South Rajasthan are trafficked and they work in BT Cotton agricultural fields

FORMS OF CHILD LABOUR

Rajasthan rank high in child labour:

- Rajasthan accounts for nearly 10% of the total child labour in the country with Jaipur alone having more than 50,000 child labourers in the age group of 5-14 years. The state stands third after Uttar Pradesh and Andhra Pradesh as far as child labourers are concerned.[1]

1. **Small Scale Industries** – In western Rajasthan children are forced into the salt industry, in the districts of Alwar and Bharatpur children are forced to work in cracker industries. Working with kids in their own houses, clothes are supplied to their homes and they do zardozi or aritari or similar needle-based work. They work in confined places, they have to complete a particular number of pieces per day.
2. **Domestic work** – when children are made to work in houses, for income and to support the family. They are trafficked among known/ unknown people to work and stay in their house. Woken up at 5/6 am and supposed to work for the family, cooking, gardening, clean utensils, and clothes, etc. Till the night when the family sleeps.
3. **Mining** – Children do drilling in stone quarries, use dynamite to make big holes, carry the waste, work under the ground, and Brick kilns. 38% of the children surveyed in Rajasthan's Kota and Bundi districts work in sandstone quarries.[2]
4. **Agriculture** – There are children working to help their family farming. Children from Southern Rajasthan are trafficked to North Gujarat and they work in in BT cotton farms. Doing what is dangerous, the harmful chemicals lead to hazardous diseases.

We need to provide opportunities to children so that they can express themselves and assert their Rights.

1. http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/18916983.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst as Published on March 12 ,2013 and retrieved on 10th Aug 2018
2. https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/oct/16/indian-child-labour-behind-patio-stones-sandstone-rajasthan as published on 16th Oct 2015 and retrieved on 10th Aug 2018

ROLE OF POLICE OFFICERS AGAINST CHILD LABOUR[3]

PRE-RESCUE

- Ensure timely survey in vulnerable areas.
- Collecting virtual data
- Treating money laundering instances as a sounding alarm and investigating if there is an element of trafficking
- Strengthening networks with community children, schools- especially teachers to ensure reporting
- Collecting missing persons/ children report
- Collecting and analysing data of crimes in the area to check indicators of trafficking
- Use previously rescued survivors as sources; informed consent must be taken. Involve NGOs, crime stoppers, help lines, police control room, etc.
- Partnerships with NGOs as they are important sources of information. Media reports may be a valuable source of information.
- Confidentiality of the source should be maintained at all costs.
- Identify sources for information collection analyze info of clients and complainants, be informed about important role players.
- Do a reasonable analysis of the information, background study of area,people and identify possible stumbling blocks.

RESCUE

- They should be in civil cloths[4]
- All basic amenities and food requirements of child should be taken care of by the police officer during the period child remains in his/her charge. Funds should be collected from Integrated Child Protection Schemes
- They should have handy details and contacts of nearby NGOs working for the cause(so the necessary emotional and legal support can be provided to children), CWC members, government hospitals and paediatric unit and 1098 Childline
- The police officer should produce the child before the concerned Child Welfare Committee within 24 hours, excluding the journey time.
- In case the Child Welfare Committee is not sitting, the child shall be taken to the residence of individual member of the committee, and if none is available then to an appropriate institution of children, registered and certified under the JJAct 2015. The same institution will produce the child before CWC, within 24 hours.

Following Victim centric approach

- Ensuring that the victim is treated with empathy and proactive steps are taken to ensure that there is no secondary victimization during the inquiry and/or prosecution.
- Ensuring privacy and other needs of the victim to disassociate social stigma which is associated with a victim of trafficking.
- Ensuring that victims' needs are considered throughout the rescue, rehabilitation and prosecution such as speedy and time bound delivery of justice, budgetary allocation for meeting the needs of the victim including travel and accommodation during and after trial.
- Fulfilment of immediate and long term medical needs of the rescued victim including psychological support,
- Victim-witness protection,
- Ensuring access to legal counselling and legal aid to help the victim understand her/ his role in the legal proceedings and ensuring conviction of all perpetrators in the chain of trafficking.

3. This section is based on Ministry of Labour and Employment, GOI prepared protocol on prevention, rescue, repatriation and rehabilitation of trafficked and migrant child labour

4. As retrieved on 10-09-2018 from https://www.mphc.gov.in/PDF/JuvenileJustice/j4-060314.pdf

POST RESCUE

Organized Crime Investigation:

- Following all banking, money laundering and other monetary transactions from source through the destination of the entire organized crime syndicate and not merely the final accused for the act of exploitation
- Ensuring that every crime and all the conspirators/abettors in the chain of crime, starting from the agent who recruits to the person facilitating the transit to the multiple actors who are complicit in the exploitation at destination, are investigated and due prosecution is filed against all parties of the syndicate.
- Ensuring that all the beneficiaries of the organized crime of child labour and child trafficking are identified and prosecuted and the network/ syndicate of crime is smashed.
- Create an online database of children in need of care and protection as well as of convicted person/agency, for speedy sharing of information and tracking of accused, transit routes and detection of multiple offenders
- Decoy operations should be conducted at periodic intervals.

GOVERNMENT INITIATIVES AGAINST CHILD LABOUR:

1. Child Labour Task Force - The District Authorities must put in place a mechanism of 'social audit' through a Task Force (Collector and the Labour Department) to make sure that children are not employed in the processes and occupations.
2. Child labour cell – to develop a perspective towards child labour in Rajasthan, evolving legal framework if required and to ensure the implementation of laws and non-violation of rights of children.
3. Child Tracking System Portal – all pictures and details missing children should be uploaded on trackthemissingchild.gov.in/, so thatmissing/found children can be united with parents as soon as possible, it provides a connectivity of entire country.
4. National Child Labour Project - It focuses on rehabilitating child laborers by funding Project Societies in select districts to open up special schools/ rehabilitation centers. These centers provide non-formal education, vocational training, supplementary nutrition, stipends, etc. to children withdrawn from employment.

REHABILITATION OF RESCUED CHILDREN INVOLVED IN CHILD LABOUR:

Central Sector Scheme for Rehabilitation of bonded labours, 2016–

According to this scheme 2 lakhs rupees are provided to bonded child labour, and 3 lakhs in cases of an extreme case of deprivation or marginalization of bonded or forced child labour, the immediate assistance of 20,000 is provided. It provides 10 lakh rupees per state per annum for awareness generation. It makes it compulsory for the state to provide for the economic and social rehabilitation of freed bonded labours for capacity building and skill development.

Mukti- Ashramwas started by Bachpan Bachao Andolan, in 1998 to provide a safe and immediate response transitory environment to rescued children. They are provided with medical help, food, clothing, recreational facilities, sports, theatre, and counseling during their stay until all legal formalities and their repatriation is completed.

The number of child labourers rescued and rehabilitated under the NCPL has gone up by 46.3 percent in India, according to the Labour ministry's data.

5. http://www.ncpcr.gov.in/view_file.php?fid=386 as retrieved on 8th Aug 2018
6. https://www.unicef.org/evaldatabase/files/6._FINAL-CRE-Rajasthan-ANNEXURES.pdf as retrieved on Aug 8th 2018
7. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=177415 as retrieved on 8th Aug 2018
8. http://bba.org.in/VictimAssistance#rehab as retrieved on 13th Aug 2018
9. http://www.newindianexpress.com/nation/2018/jul/31/child-labourers-rehabilitated-rescued-under-nclp-up-by-45-per-cent-1851006.html from The New Indian Express published on 31st July 2018 and retrieved on 13th Aug 2018

CCP in Action

CWPOs and AHTUs Capacity Building Programme at Alwar

Centre for Child Protection, Sardar Patel Universit of Police, Security anc Criminal Justice, Rajasthan organised capacity building programme for Child Welfare Police Officers, Officials of Anti Human Trafficking Unit and Special Public Prosecutors. This training programme was held on June 5-7, 2018 at Anwesan Bhawan, Alwar, Rajasthan and 26 participants from Alwar and Dausa districts took very acitive part and made this programme successful.

CWPOs and AHTUs Exposure Visit of CCIs at Alwar

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeunivercity.ac.in

न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

संपादकीय टीम :– CCP - SPUP Team